**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3420**

**उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025**

**महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**

**3420. श्री हरीश चंद्र मीना:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश, विशेषकर राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में, महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिशत क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2024 में देश, विशेषकर बिहार में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा देश, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) : एमएसएमई की संशोधित परिभाषा को दिनांक 01.07.2020 को अंगीकृत किया गया था। एमएसएमई के पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) को दिनांक 01.07.2020 को शुरू किया गया था। पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित, देश में उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म (यूएपी) पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) सहित यूआरपी पर पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिशत और संख्या नीचे दी गई है:

| देश में तथा राजस्थान राज्य के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की स्थापना से लेकर दिनांक 15.03.2025 तक की स्थिति | | | |
|---|---|---|---|
| | पंजीकृत एमएसएमई की संख्या | महिला स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या | महिला स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई का प्रतिशत |
| अखिल भारत | 6,13,37,576 | 2,46,42,171 | 40.17% |
| टोंक और सवाई माधोपुर जिले | 1,11,812 | 27,776 | 24.84% |

(ख) : देश एवं बिहार राज्य में वित्त वर्ष 2020-21 (यूआरपी की शुरुआत के बाद से) और वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 15.03.2025 तक) महिला स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई की संख्या इस प्रकार है:

| महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की तुलना | | |
|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष | 2020-21 (दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2021 तक) | संचयी (दिनांक 15.03.2025 तक) |
| अखिल भारत | 4,86,781 | 2,46,42,171 |
| बिहार | 14,473 | 16,36,406 |

(ग) : सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राजस्थान सहित देश में एमएसएमई में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं, जैसे:

i. महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।

ii. महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 2018 में सार्वजनिक खरीद नीति में संशोधन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% महिला उद्यमियों से खरीद अनिवार्य कर दिया गया है।

iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की छूट दी जाती है; और 90% की गारंटी कवरेज दी जाती है।

iv. महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय कयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना' लागू करता है, जो कयर क्षेत्र की महिला कारीगरों के कौशल विकास के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

v. एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है, जो एक प्रमुख ऋण-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी दर शहरी क्षेत्रों में 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग तथा पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी, शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है।

vi. खरीद और विपणन सहायता योजना के तहत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की सहभागिता पर अन्य उद्यमियों के लिए 80% की तुलना में महिला उद्यमियों को 100% की सब्सिडी दी जाती है।

vii. एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2024 को 'यशस्विनी अभियान' की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य औपचारिकता, ऋण क्षमता निर्माण और इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके मार्गदर्शन पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है।

*****